मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 23 अगस्त, 2001 (भाद्र 1, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1995 की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5/3/99-वि.क-पांच (8), दिनांक 2 मार्च, 2001 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 43 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 32-1-99-मध्यम-इकतीस, दिनांक 1 मई, 2001 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री घनश्याम पाटीदार, राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोक आयुक्त अधिनियम, 1981 की धारा 17 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-1-2000-एक-10, दिनांक 26 मार्च, 2001 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद स्थित जिला शासकीय चिकित्सालय परिसर के कुएं में उपयोगी दवाईयां पाई जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल स्थित केन्द्रीय जेल में कैदियों के बीच खूनी संघर्ष की घटना की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-
"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है."

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 12 सन् 2001) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

6. प्रतिवेदनों पर चर्चा

निर्धारित समय 2 घन्टे

मानव अधिकार आयोग का प्रथम एवं द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन क्रमशः वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा आयोग की क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन पर चर्चा.

डॉ. ए. के. पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 22 अगस्त, 2001